वास्ते जवाब प्रा० पत्र (0)7 (R) 11 एवं (0) 1 (R) 10
दिनांक 19/09/2024 को पेश हो।
S.D.O.

19/09/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र (0) 7 (R) 11 एवं (0) 1 (R) 10 का जवाब देने से इन्कार कर सिधे बहस करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र (0) 7 (R) 11 पर बहस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट हैं तथा वकील प्रतिवादी द्वारा प्रा० पत्र (0) 1 (R) 10 की बहस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट है। अतः प्रा० पत्र (0) 7 (R) 11 बेग प्रा० पत्र होना प्रतीत होता है। अतः प्रा० पत्र (0) 7 (R) 11 स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है तथा प्रा० पत्र (0) 1 (R) 10 का स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र में सभी आवश्यक खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते संशोधित शुद्धि। वाद-पत्र दिनांक 29/10/2024 को पेश हो।
S.D.O.

29/10/2024 पत्रावली पेश हुई...अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य...स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/11/24..... को पेश की जावे।

21/11/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी न्यायालय मे अनुपस्थित। वकील वादी व वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगवाई गई बावजूद वकील वादी
S.D.O.

Signature Not V
Digitally signed by N
Date: 2024.12.19 13
Reason: SelfAtteste

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी ......मुकेश कुमार...... मुकाम : रावतभाटा बनाम......रा.०. हैसालाल......

किस्म मुकदमा......वाद...... नं० ......01...... सन्......2024......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:40:54 IST
Reason: SelfAttested